

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू



पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 21/2019

महावीर पुत्र इमरता, जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांत

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील गुढा गोडजी, जिला झुंझुनू

— रेसपॉण्डेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम महावीर  
अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 106/18  
बअदालत नायब तहसीलदार गुढा गोडजी।

उपस्थिति:-

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट ————— अपीलांत की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार, राजकीय अभिभाषक ————— रेसपॉण्डेंट की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक — 04.07.2019

उक्त उनवानी अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.10.2018 उनवानी सरकार बनाम महावीर अं0 धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत नायब तहसीलदार गुढा के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत ने गलत तथ्यों के आधार पर खसरा नंबर 403 पर अपीलांत को अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं। अदालत मातहत ने बिना कोई नपती करवाये नोटिस जारी किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। खसरा नंबर 403 पुराने खसरा नंबर 87 से बने हैं, खसरा नंबर 87 में दिनांक 14.11.1977 में परिवर्तित एक बीघा 11 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी जिसका नामांतरकरण नंबर 141 है। दिनांक 20.10.1975 को 15 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गयी

48

आति. जिला कलेक्टर

झुंझुनू

जिसका नामांतरकरण नंबर 117 है। अपीलार्थी का जोहड़ की भूमि में अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना भी जाता है तो भी भूमि आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए अदालत मातहत का धारा 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिये नोटिस खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी ने जवाब के साथ आबादी में परिवर्तित किये गये नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 14.11.1977 व नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 20.10.1975 प्रस्तुत की थी। उक्त दस्तावेजात प्रस्तुत करने के पश्चात अदालत मातहत ने जाहिर किया कि आपके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप कर दी जायेगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। पीछे से दिनांक 11.10.2018 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। अंत में अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि— अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं। खसरा नंबर 403 पुराने खसरा नंबर 87 से बने हैं, खसरा नंबर 87 में दिनांक 14.11.1977 में परिवर्तित एक बीघा 11 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी जिसका नामांतरकरण नंबर 141 है। दिनांक 20.10.1975 को 15 विश्वा भूमि आबादी में परिवर्तित की गयी जिसका नामांतरकरण नंबर 117 है। अपीलार्थी का जोहड़ की भूमि में अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना भी जाता है तो भी भूमि आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए अदालत मातहत का धारा 91 एल.आर.एक्ट को नोटिस क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत मातहत ने बिना कोई नपती करवाये नोटिस जारी किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अत अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांत द्वारा राजकीय गै0मु0 जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण

१४  
अति. जिला कलक्टर  
मुन्सूर

विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के निर्णय दिनांक 11.10.2018 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि रही है और अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर बसा हुआ है। खसरा नंबर 403 व खसरा नंबर 333 की सीमायें लगती हुई हैं। खसरा नंबर 403 में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलार्थी अपने खेत की सीमा पर आजादी के समय से, पूर्व से वहां आबाद हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपने निर्णय में कोई फाईडिंग नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 11.10.2018 मुकदमा नंबर 106/18 उनवानी सरकार बनाम महावीर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर, आवश्यकता हो तो सीमाज्ञान करवाया जाकर, पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।



48  
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)  
अतिरिक्त जिला न्यायालय कलेक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 04.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

49  
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)  
अतिरिक्त जिला न्यायालय कलेक्टर,  
झुंझुनू